बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 05 / 2012 – / पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी (एम॰आई॰टी॰) मुजफ्फरपुर द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II) के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि से क्रय किये गए मशीनें एवं उपकरण के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से कुल रू॰ 50,75,000=00 (पचास लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी (एम॰आई॰टी॰) मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1463, दिनांक 28.11.2015 द्वारा की गई मांग के आधार पर संस्थान द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II) के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि से क्रय किये गए मशीनें एवं उपकरण के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से कुल रू॰ 50,75,000=00 (पचास लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजना आय–व्ययक के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– पी 4202021050102 है।

3. इस राशि की निकासी कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, एम॰आई॰टी॰, मुजफ्फरपुर होंगे।

5. उक्त राशि से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि से क्रय एवं आपूर्ति किये गए सामग्रियों के लंबित विपत्रों का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय नियमों के अनुपालन की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰ / –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 05/ 2012 – /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 05/ 2012 – /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 05/ 2012 – /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, एम॰आई॰टी॰, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक–1463, दिनांक 28.11.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 05/ 2012 – /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सह राज्य परियोजना सलाहकार, State Project Facilitation Unit (SPFU) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 05/ 2012 – 3070 /पटना, दिनांक– 31.12.015

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/15

31/12/2015
सरकार के अपर सचिव